[2020] 1 एससीआर। 69

पवन कुमार गुप्ता

बनाम

स्टेट ऑफ एन०सी०टी० (दिल्ली)

(विशेष अवकाश याचिका (आपराधिक) सं। 547 का 2020) 20 जनवरी, 2020

[आर. भानुमति, अशोक भूषण और एएस बोपन्ना, जेजे।]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000–एस 7 ए, 21–निर्भया मामला–याचिकाकर्ता–अभियुक्त ने दावा किया कि वह अपराध के घटित होने के समय किशोर था और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) से स्पष्ट है–एस 7 ए के संदर्भ में एक जांच रखने के लिए दायर याचिका–अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। सत्र न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 09.07.18 का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता द्वारा ली गई किशोरता की याचिका खारिज कर दी गई थी जिसे उच्च न्यायालय ने भी रिवीजन में खारिज किया था। अपील पर, आयोजित वर्तमान मामले में, यह पहली बार नहीं है कि याचिकाकर्ता ने किशोरता की याचिका उठाई है। जब मामला निचली अदालतों के समक्ष लंबित था, तो पहले याचिकाकर्ता ने किशोरता की याचिका को उठाया था जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 10.01.13 को खारिज कर दिया था। इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी। इसके अलावा, जब उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील लंबित थी, याचिकाकर्ता और एक सह–अभियुक्त ने किशोरता की दलील को उठाया जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। तब किशोरता की दलील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समीक्षा याचिका में भी उठाई गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा ली गई याचिका और सह–अभियुक्त को आदेश दिनांक 09.07.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया था। उस आदेश को अंतिम रूप मिल गया है। एस 7 ए यह निर्धारित करता है कि याचिका के अंतिम निपटान के बाद मंच सहित किसी भी अदालत में किसी भी अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया जा सकता है, हालांकि, एक बार एक दोषी ने किशोरता की याचिका लेने के लिए चुना है। मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय और एक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और उक्त याचिका को सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर दिया गया है, याचिकाकर्ता को नए आवेदन यू/एस 7 ए दायर करके किशोरता की याचिका को फिर से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने संशोधन याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया–कोई आधार नहीं लगाए गए आदेश के साथ हस्तक्षेप करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 1 एससीआर।

राम नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 17 एससीसी

699: [2015] 9 एससीआर 200; उपेंद्र प्रधान बनाम स्टेट ऑफ
उडीसा (2015) 11 एससीसी 124: [2015] 5 एससीआर 214;

अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(2012) 9 एससीसी 750: [2012] 10 एससीआर 540-को संदर्भित किया गया।

केस लॉ संदर्भ [2015] 9 एससीआर 200 पैरा 6 को संदर्भित [2015] 5 एससीआर 214 पैरा 6 को संदर्भित [2012] 10 एससीआर 540 पैरा 6 को संदर्भित

क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिफिकेशनः स्पेशल लीव

याचिका (आपराधिक) संख्या 547/2020

क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नं 1301/2020 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 19.12.2019 के निर्णय और आदेश से

डॉ. एपी सिंह, वी. पी. सिंह, सुश्री गीता चौहान, सुश्री प्रतिमा रानी, सुश्री ऋचा सिंह, सदाशिव, याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण।

तुषार मेहता, एसजी, सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर सलाहकार।, चिराग एम। श्रॉफ, रजत नायर, सुश्री स्वाती घिल्डियाल, कानू अग्रवाल, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, सुश्री यशिका वर्मा, सुश्री अभिलाषा भारती, मनन पोपली, शांतनु शर्मा, राजीव रंजन, वरुण चुघ, भुवन कपूर, दिग्विजय डैम, ए। के। शर्मा, सुश्री गार्गी के।, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश
1। अभियुक्त पवन कुमार गुप्ता ने यह एसएलपी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 19.12.2019 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की है। 2019 के 1301 ने किशोरता के याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया।

2। याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता का ध्यान यह है कि वह अपराध के कमीशन के समय एक किशोर था और गायत्री बाल संस्कार शाला, नारायण पुर, टांडा, जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश द्वारा उसके पक्ष में जारी स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार, उसकी जन्म तिथि 08.10.1996 है और इसलिए, कथित घटना की तारीख यानी 16.12.2012, याचिकाकर्ता की आयु केवल 16 वर्ष 08 दिन थी।

और वह अपराध के कथित आयोग की तारीख पर एक किशोर था। याचिकाकर्ता का ध्यान यह है कि प्रमाण पत्र को जांच अधिकारियों द्वारा वास्तविक पाया गया है और इसलिए, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के संदर्भ में एक जांच रखने के लिए प्रार्थना की गई (संक्षेप में "जेजे अधिनियम")। याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता के अनुसार, अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, कानून के विरोध में किसी भी बच्चे को मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। आदेश दिनांक 21.12.2018 के आदेश से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीसी कोर्ट नंबर 7 द्वारा उक्त याचिका को खारिज कर दिया गया था। 21.12.2018 के उक्त आदेश में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 10.01.2013 के आदेश का उल्लेख किया, जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 09.07.2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता द्वारा ली गई किशोरता की याचिका को खारिज कर दिया था।
समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि याचिकाकर्ता अपराध के कमीशन की तारीख पर किशोर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 09.07.2018 को पारित आदेश के मद्देनजर, सत्र न्यायाधीश के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। जेजे अधिनियम की धारा 7 ए के संदर्भ में याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता की आयु निर्धारित करें।

3. लगाए गए आदेश से, उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.07.2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ध्यान दिया था कि जांच अधिकारियों ने संबंधित स्कूल अधिकारियों से स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का सत्यापन किया है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिनांक 10.01.2013 को आदेश पारित किया है और सभी दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिनांक 09.07.2018 को याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता द्वारा अपने आदेश के अनुसार किशोरता की याचिका को नकार दिया।

दिये गए आदेश में, उच्च न्यायालय ने विस्तार से विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 10.01.2013 को पारित आदेश और उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2018 को संदर्भित किया और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किशोरता की याचिका को खारिज कर दिया। किशोरता की याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया था कि याचिकाकर्ता ने पहले उसे दी गई मौत की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर समीक्षा याचिका में किशोरता की याचिका को उठाया था और कहा था कि मुझे 09.07.2018 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

4. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एपी सिंह को सुना गया। श्री तुषार मेहता, विद्वान सालिसिटर जनरल तथा श्री सिद्धार्थनगर लूथरा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को एन०सी०टी०

ऑफ दिल्ली की तरफ से सुना गया तथा इन्पन्जड आदेश एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 1 एससीआर।

5. श्री एपी सिंह, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने कथन किया है कि उच्च न्यायालय ने उसे सुने बिना आदेश पारित कर दिया है। उस दृश्य में, हमने गुण-दोष के आधार पर याचिकाकर्ता की शिकायत पर ध्यान दिया है। हमने श्री एपी सिंह को विस्तार सुना और एसएलपी में उठाए गए आधारों पर विचार किया ।

6. यह कहते हुए कि किशोरता की दलील किसी भी स्तर पर उठाई जा सकती है, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने राम नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 17 एससीसी 699 और उपेंद्र प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य (2015) 11 एससीसी 124 पर भरोसा किया। विद्वान वकील ने अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012) 9 एससीसी 750 पर भी भरोसा रखा, जिसमें उक्त निर्णय के पैरा (32) में किशोर होने का दावा करने वाले अभियुक्त की आयु निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यह हो चुका है। यह माना जाता है कि एक बार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, यह आदेश कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

7. जैसा कि राम नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 17 एससीसी 699 में आयोजित किया गया था, मामले के अंतिम निपटान के बाद भी किसी भी स्तर पर किशोरता का दावा किया जा सकता है। मामले के अंतिम निपटान के बाद भी इसे पहली बार उठाया जा सकता है। हालाँकि, एक बार जब अभियुक्त ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी किशोरता की दलील लेने के लिए चुना है और उक्त याचिका को खारिज कर दिया गया है, आरोपी के लिए जेजे अधिनियम की धारा 7 ए के तहत नया आवेदन दायर करके किशोर होने की दलील दोबारा देना संभव नहीं है।
8. मौजूदा मामले में यह पहली बार नहीं है याचिकाकर्ता ने नाबालिग होने की दलील दी है। जब मामला ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित था तो याचिकाकर्ता द्वारा पहली बार में किशोरता की दलील दी गई थी। 07.01.2013 के विचाराधीन ट्रायल कोर्ट के आदेश ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह उन दस्तावेजों के बारे में एक रिपोर्ट दर्ज करे, जिन पर उसने आरोपी की उम्र निर्धारित करने के लिए भरोसा किया है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने पर, दिनांक 10.01.2013 को अपने आदेश में विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने माना है कि याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता की आयु सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और आरोपी ने जांच अधिकारी द्वारा दायर आयु सत्यापन रिपोर्ट पर विवाद नहीं किया था और आगे, उसने अपराध के कमीशन के समय 18 वर्ष से अधिक होने की आयु का विवाद नहीं किया था। जब मामला निचली अदालतों के समक्ष लंबित था, तो पहले याचिकाकर्ता ने किशोरता की दलील दी थी और 10.01.2013 के आदेश से, मेट्रोपॉलिटन विद्वान मजिस्ट्रेट ने पवन कुमार गुप्ता बनाम

एन०सी०टी० दिल्ली में किशोरता की याचिका खारिज कर दी है।
ध्यातव्य है कि अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता के प्रवेश रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां तब रखी हैं जब वह पहली बार स्कूल गया था और उसी को रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह कहा जाता है कि याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता की आयु सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और प्रमाणित प्रतियां भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई थीं। यह कहा जाता है कि उक्त रिपोर्ट में याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता और सह-अभियुक्त विनय शार दोनों के माता-पिता के बयान का उल्लेख किया गया है। जहां उन्होंने (माता-पिता) अपने बेटों की उम्र की पुष्टि की है। यह इंगित करते हुए कि याचिकाकर्ता के माता-पिता या पवन कुमार गुप्ता की ओर से पेश वकील ने आईओ द्वारा दायर की गई आयु सत्यापन रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और याचिकाकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर विवादित नहीं है। अपराध के कमीशन का समय, विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने किशोरता की याचिका को नकार दिया है। दिनांक 10.01.2013 के इस आदेश को याचिका द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।
आयनर।

9. जब आपराधिक अपील उच्च न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल अप्लीकेशन नं. 1398/2013 लंबित थी। याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त विनय ने किशोरता की दलील दी है कि वे अपराध के कथित आयोग की तारीख पर किशोर थे। 13.03.2014 के अपने फैसले के अनुसार, पैरा (150) से (153) में बताए गए कारणों से प्रस्तुतियाँ पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किशोरता की याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.01.2013 को चुनौती नहीं दी गई है। पैरा (150) में, उच्च न्यायालय ने बताया कि 10.01.2013 के आदेश से, विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने माना है कि याचिकाकर्ता पवन कुमार गुप्ता के माता-पिता ने उनकी उम्र की पुष्टि अपने बयान में की थी, जो रिपोर्ट में शामिल थी। पैरा (150) में, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है किः-

"150 ..... यह ध्यान दिया जा सकता है कि विद्वान एम. एम. ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से इस तथ्य को दर्ज किया कि विनय शर्मा के माता-पिता और पवन कुमार ने अपने संबंधित वार्डों की उम्र की पुष्टि की थी।

जैसा कि रिपोर्ट में निर्धारित किया गया था जिसमें दोनों आरोपी व्यक्तियों के माता-पिता का लिखित बयान शामिल था। विद्वान एम. एम. ने आगे कहा कि आरोपी विनय शर्मा और पवन के वकील ने आईओ द्वारा दायर आयु सत्यापन रिपोर्ट के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई थी और आरोपी का उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होने का विवाद नहीं था।
अपराध का आयोग "।
सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 1 एससीसआर।

10. उच्चतम न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा किशोरता की याचिका

को उठाया गया था। दिल्ली के एनसीटी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुतिकरण और 10.01.2013 के विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लेख करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 09.07.2018 में याचिकाकर्ता और सह द्वारा ली गई किशोरता की याचिका को खारिज कर दिया है।-आरोपी विनय शर्मा और उस आदेश को अंतिम रूप मिल गया है। दिनांक 09.07.2018 के आदेश का प्रासंगिक भाग टी द्वारा पारित वह सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार हैः -

"18 ..... इस दावे पर कि पवन एक किशोर था, श्री लूथरा ने 10-1-2013 के आदेश का उल्लेख किया, जहां पवन की आयु सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई है और प्रमाणित प्रतियां भी रिकॉर्ड पर दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में इन दोनों आरोपियों के माता-पिता के लिखित बयान का उल्लेख किया गया था, जहां उन्होंने अपने वार्डों की उम्र की पुष्टि की है। ट्रायल कोर्ट में यह निर्णय लेने में कोई दुर्बलता नहीं थी कि दोनों बालिग थे और ट्रायल कोर्ट उसी के अनुसार आगे बढ़ा। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए निवेदन में कोई तथ्य नहीं है। 45. अब, याचिकाकर्ता 2 के लिए विद्वान वकील को प्रस्तुत करने के लिए कि वह घटना के समय किशोर था। उक्त मुद्दे पर भी ट्रायल कोर्ट ने विचार किया और खारिज कर दिया। इससे पहले रखी गई सामग्री के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता 2 किशोर नहीं था। प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील ने 10-9-2013 की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही का सही उल्लेख किया है। इस संबंध में यह प्रस्तुत भी निर्णय की समीक्षा के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं करता है।

11. जेजे अधिनियम की धारा 7 ए में कहा गया है कि याचिका के अंतिम निपटान के बाद मंच सहित किसी भी स्तर पर किसी भी अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया जा सकता है। हालाँकि, एक बार एक दोषी ने विद्वान मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी किशोरता की दलील लेने के लिए चुना है और उक्त याचिका को सर्वोच्च न्यायालय तक खारिज कर दिया गया है, याचिकाकर्ता को जेजे अधिनियम की धारा 7 ए के तहत किशोरता की नई याचिका को फिर से दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 10.01.2013 को दिए गए निर्णय और उच्च न्यायालय के दिनांक 13.03.2014 के निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2018 को पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पवन कुमार गुप्ता बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य में प्रस्तुत रिवीजन याचिका को सही खारिज किया है। हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं मिला।

12. श्री एपी सिंह ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ कुछ टिप्पणियां की हैं जो उनके अधिकारों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के समय उपस्थित नहीं थे और इस तरह की टिप्पणियों को उचित नहीं ठहराया गया है। हमने याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए उपरोक्त सबमिशन पर विचार किया है, लेकिन कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं क्योंकि यह वर्तमान मुद्दे के लिए सार्थक नहीं है। हम हालांकि श्री सिंह को उनके खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हैं।

13. परिणाम में, एसएलपी खारिज कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे। याचिका खारिज।

अनुवादकर्ता,

(अंकिता चौधरी),
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।